कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1257 /FP/UK/MIN/147885/2021 दिनॉकः देहरादून 18. नवम्बर, 2022

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली– पिन– 110003।

विषयः–जनपद– नैनीताल के तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी नदी तल के 181.00 है0 में उप खनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर को 10 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–भारत सरकार, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या–8-61/1999-F.C. (Pt. VI)दिनांक 15.09.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **ई0डी0एस0दिनांक 15.09.2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 694/12–1 दिनांक 01.10.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसारसंलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

S.No	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	The forest clearance has been sought for next 10 years whereas the approved mining plan is valid for next 3 years only. The State shall therefore provided/upload the approved mining plan for 10.0 years.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 10 वर्षीय वन स्वीकृति की वैधता दि0 14.02.2023 तक होने के कारण Mining Plan की वैधता माह फरवरी 2023 (वन स्वीकृति की समाप्ति) तक प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्ष हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है। जिस क्रम में आगामी वर्षो (वर्ष 2023 से वर्श 2028 तक) हेतु Mining Plan की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अवगत कराया गया है कि स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
2.	The details/documents submitted in respect of the observation no. (viii) of MoEF&CC's EDS letter dated 10.05.2022 are not legible. A legible copy may be provided/uploaded in the online portal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि Observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 की स्पष्ट छायाप्रति प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3.	DSR has been prepared as per SSMG-2016 Guideline. However, its required as per the MoEF&CC's SSMG Guideline-2019.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला–नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेशित की गई है। प्रभागीय कार्यालय की पत्र सं0–1319/खनन 2022–23/ दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019 के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया, जिसके क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0–870/भू0खनि0ई0/खनन ई–रवन्ना/ 2022–23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है। पत्र की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
4.	The cost benefit analysis is not as per the guidelines issued by the Ministry. The same may	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः

	be provided as per guidelines and on the prescribed format.	तैयार कर प्रेशित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के के साथ संलग्न है।
5.	The State govt has informed that as per the consent/approval of CWLW the mining activities are being carried out over 91 ha area, whereas, as per the component wise breakup given in the .letter dated 02.08.2022, a forest area of 127 ha has been shown suitable for mining. The same needs clarification.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में प्रेषित खनन क्षेत्र के component wise breakup में खनन योजना के अनुसार लगभग 127 है0 क्षेत्र को खनन हेतु उपयुक्त बताया गया है जो कि खनन योजना के प्लेट सं0–06 व 07 में अंकित है। परंतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0–877/1जी0 2757(नैनी0)/ दिनांक देहरादून 09 अक्टूबर 2012 जो कि भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली को सम्बोधित है। उक्त पत्र पूर्व में भी संलग्न किया गया था के बिन्दु सं0–15 में "मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की संस्तुति के अनुसार रामनगर के ग्राम मदनपुरी कुर्मी तक उपखनिज क्षेत्रफल प्रतिबन्धित करने पर अनुमानित क्षेत्रफल 181.00 है0 में नदी के दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग छोड़ने पर लगभग 91.00 है0 में शुद्ध वन क्षेत्र में उपखनिज की कार्यवाही की जा रही है
6.	As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS . cell(procured from NTCA) the distance of proposed site is 2.80 kIn from the Corbett Tiger Reserve. Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above PAs or the KML file of the proposed area being used is not correct. The State Govt shall therefore recheck the boundarieslkml file and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park! Tiger Reserve and the Eco-sensitive Zone of the PA.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0, आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून की फाईल नं0– 3201 –2डी /1/2020 /Forest department के आधार पर कोसी नदी के खनन क्षेत्र की कॉर्बेट टाईगर रिजर्व की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 6.0 किमी0, पवंलगढ़ संरक्षित क्षेत्र की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 2.6 किमी0 तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 10.5 किमी0 दर्शित है **(संलग्नक–06)**। उक्त के क्रम में यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि Ministry of Environment दक Forest Wild Life Division की फाईल नं0–F.No-6-10/2011 /WL Dated 19-Dec-2012 के साथ संलग्न गाईड लाईन के बिन्दु सं0–3.5.1 के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10.00 किमी0 परिधि के अन्तर्गत तथा बिन्दु सं0–3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्दु सं0–3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Eco-sensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है। उक्त के संबंध में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर अपनी फाईल सं0 FC-11/119/2020-FC Dated 17-May-2022 से भी दिशानिर्देश जारी किये गये है।
7.	The state has submitted two proposals simultaneously, one is collection of minor mineral from Dabka River over an area of 112.0 ha and other is collection of minor minerals from Kosi River over an area of 181.0 ha. In this regard it has been observed that the attached CD with the reply of both proposals have common KML files of CA areas. The Ionl files of the CA areas pertaining to the instant proposal are required to be submittecfseparately so that they can be analyzed on DSS portal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वैध कोसी नदी (181 है0) एवं दाबका नदी (112 है0) में उपखनिज चुगान हेतु वन भूमि लीज के प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्र अन्य वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के भांति पूर्व निर्धारित नहीं था, साथ ही CAMPA ADHOC मद से भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रकरणवार प्राप्त न होकर एकमुश्त प्राप्त होती है। चुंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पूर्व निर्धारित न होने के कारण कोसी नदी एवं दाबका नदी में उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावों के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस वन प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध अवनत वन क्षेत्र में किया गया। उपरोक्त कारणों से दोनों प्रस्तावों के क्षतिपूकर वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File संयुक्त रूप से ही उपलब्ध है।

8.	It has also been observed on DSS that one KML file of North Jaspur Range is found duplicate whereas Upper Kosi (9.02 ha) and Upper Kosi (49.96 ha), Guljarpur plot 9 (802 ha) and Guljarpur plot no 9 B (10.06 ha) and Aampokhra plot 14 (16.05 ha) and Aampokhra plot 15 B (10.0 ha) CA sites are found overlapping or have common area with each other. Such ambiguities are required to be addressed before submitting the kml files of CA areas pertaining to the instant proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु सं0 8 में वर्णित समस्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File को संशोधित कर मय सी.डी. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1257 / **FP/UK/MIN/147885/2021तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 694/12–1 दिनांक 01.10.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

16/11/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

o/c